भारतीय न्याय संहिता 2023

माध्यमिक कक्षा 9 से 10 तक के
विद्यार्थियों के लिए

जुलाई 2025

श्रावण 1947

PD 1H BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2025

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित।

भारतीय न्याय संहिता 2023

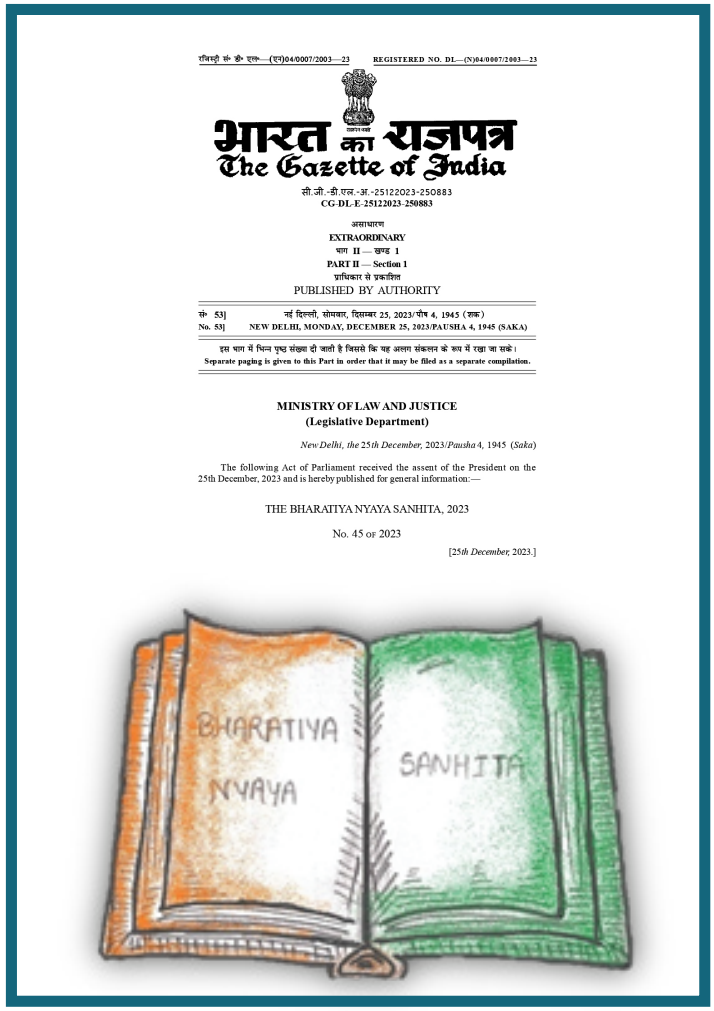

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-(एन)04/0007/2003—23 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122023-250883
CG-DL-E-25122023-250883

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 53] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 25, 2023/पौष 4, 1945 (शक)
No. 53] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 25, 2023/PAUSHA 4, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 25th December, 2023/*Pausha* 4, 1945 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 25th December, 2023 and is hereby published for general information:—

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023

No. 45 OF 2023

[*25th December,* 2023.]

माध्यमिक कक्षा 9 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

भारतीय न्याय संहिता 2023

सीखने के प्रतिफल

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप निम्न कार्य करने में सक्षम होंगे—

- भारत में आपराधिक कानूनों के विकास पर चर्चा करना और भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 में किए गए परिवर्तनों की पहचान करना।
- कुछ अपराधों और उनके अनुरूप दंडों की पहचान करते हुए एक तालिका या आरेख (डायग्राम) तैयार करना।
- नए कानूनों के अधिनियमन के औचित्य पर चर्चा करना।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बी.एन.एस.) की समझ प्रदर्शित करना।

परिचय

12 दिसंबर, 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया	20 दिसंबर, 2023 लोकसभा में पारित किया गया	21 दिसंबर, 2023 राज्यसभा में पारित किया गया	25 दिसंबर, 2023 राष्ट्रपति की स्वीकृति - कानून लागू हुआ	01 जुलाई, 2024 कानून लागू हुआ

स्रोत— https://prsindia.org/billtrack/the-bharatiya-nyaya-second-sanhita-2023

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 को 25 दिसंबर, 2023 को अधिनियमित किया गया, जिसने भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) 1860 को निरस्त कर दिया और देश की नई दंड संहिता के रूप में प्रतिस्थापित किया। बी.एन.एस. भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) 1860 को प्रतिस्थापित करती है और उसमें अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित एवं संशोधित किया गया है।

यह 1 जुलाई 2024 को लागू हुई और भारत की पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है।

इसने बड़े पैमाने पर आई.पी.सी. के प्रावधानों को बरकरार रखा है, कुछ नए अपराध जोड़े हैं, उन अपराधों को हटाया है जिन्हें न्यायालयों ने निरस्त कर दिया है और कई अपराधों के लिए दंड बढ़ाया है।

इसमें अपराधों के लिए स्पष्टता और सख्त दंड प्रदान किया गया है, संभावित रूप से सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसमें घृणास्पद अपराधों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान दिया गया है। यह औपनिवेशिक युग के बाद उभरी समकालीन सामाजिक, तकनीकी और कानूनी चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए तैयार किया गया है।

बी.एन.एस. का विकास

यह कानून एक शताब्दी से भी अधिक समय से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली भारतीय दंड संहिता, 1860 पर आधारित है।

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान तैयार किए गए इस कानून ने कई अपराधों के लिए व्यापक कानूनी वर्गीकरण और संबंधित दंड निर्धारित किए। यद्यपि तेजी से बदलते सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी संदर्भ के साथ समन्वय रखने के लिए पिछले कुछ वर्षों में आई.पी.सी. में अनेक संशोधन हुए हैं।

अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आई.पी.सी. को संगठित अपराध, साइबर अपराध और आतंकवाद जैसी आधुनिक समस्याओं से निपटने में कठिनाई हो रही थी।

इसलिए एक अधिक समकालीन और प्रभावी कानूनी ढाँचा आवश्यक था और इस आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की स्थापना की गई। यह नया कानून गृह मामलों की स्थायी समिति (एच.ए.एस.सी.) की समीक्षाधीन है। यह नए अपराधों को सम्मिलित करके, मौजूदा अपराधों के लिए दंड को कठोर बना कर और इसके अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखते हुए आई.पी.सी. को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।

बी.एन.एस. का औचित्य

सरकार ने कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने की गारंटी के उद्देश्य से कानूनी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए मौजूदा आपराधिक कानून का मूल्यांकन करना उचित समझा। सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कानून को अद्यतन करने और आम लोगों को न्याय तक त्वरित पहुँच प्रदान करने के बारे में भी सोचा। नागरिकों के जीवन एवं स्वतंत्रता की गारंटी देने और उन पर केंद्रित एक कानूनी ढाँचा विकसित करने के लिए, आधुनिक जनता की आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया गया।

बी.एन.एस. को शुरू करने के औचित्य का प्राथमिक तर्क वर्तमान कानूनी प्रणाली में सुधार करना था, जो पुराने कानूनों, प्रक्रियात्मक बाधाओं और न्याय की प्रदायगी में महत्वपूर्ण देरी से बोझिल थी।

सरकार का उद्देश्य विभिन्न कानूनों को एक ही संहिता के अंतर्गत एकीकृत करके, देशभर में कानूनी प्रक्रियाओं में स्पष्टता, दक्षता और पहुँच को बढ़ावा देना है।

इसके अतिरिक्त, यह कानून सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देकर न्यायिक दक्षता संवर्धित करने और मामलों के लंबित मामलों को कम करने का प्रयास करता है। इस व्यापक कानूनी सुधार के औचित्य के तर्क को कई प्रमुख आयामों में खोजा जा सकता है—

(1) **सरलीकरण और सुदृढ़ीकरण**— बी.एन.एस. का उद्देश्य एक एकीकृत संहिता के अंतर्गत प्रासंगिक कानूनों को सुदृढ़ करके, कानूनी प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना, अस्पष्टता को कम करना एवं कानूनी पेशेवरों (प्रोफेशनल्स) और जनता दोनों के लिए स्पष्टता को संवर्धित करना है।[1]

(2) **न्याय तक पहुँच का संवर्धन**— बी.एन.एस. कानूनी प्रक्रियाओं में दक्षता को बढ़ावा देकर, लंबित मामलों को कम करके और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को सरल बना कर न्याय तक पहुँच में सुधार करना चाहता है। इसमें डिजिटल एकीकरण के प्रावधान सम्मिलित हैं, जो मामलों को आसानी से दायर करने, दूरस्थ सुनवाई और कानूनी दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुँच की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कानूनी प्रणाली सभी नागरिकों की आवश्यकताओं के लिए अधिक सुलभ एवं उत्तरदायी बनती है।

(3) **न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देना**— बी.एन.एस. ने सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं, विशिष्ट श्रेणियों के मामलों के लिए विशेष न्यायालयों और वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) के लिए तंत्र के माध्यम से न्यायिक दक्षता बढ़ाने के उपाय प्रस्तुत किए हैं।

(4) **तकनीकी प्रगति के अनुकूल होना**— कानूनी ढाँचे में डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों का एकीकरण न केवल दक्षता बढ़ाता है बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देता है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम, ऑनलाइन केस मैनेजमेंट और वर्चुअल कोर्ट कार्यवाही बी.एन.एस. द्वारा सुगम की गई कुछ तकनीकी प्रगति हैं, जिसका उद्देश्य भारत के कानूनी ढाँचे को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करना एवं आधुनिक समाज की डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करना है।

(5) **संवैधानिक सिद्धांतों और अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना**— नई कानूनी संहिता में ऐसे प्रावधान सम्मिलित हैं, जो व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा देते हैं और कानूनी कार्यवाही में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। बी.एन.एस. का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करके एक ऐसा कानूनी वातावरण बनाना है, जो सभी नागरिकों के लिए न्याय, निष्पक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देता है।

---

[1] उद्देश्यों और कारणों का विवरण, भारतीय न्याय संहिता, 2023
https://sansad.in/ls/legislation/bills

भारतीय न्याय संहिता नाम क्यों रखा गया?

'न्याय' सामाजिक न्याय का द्योतक है। वर्तमान बी.एन.एस. दंडात्मक विचार से न्याय की ओर परिवर्तन है और प्रतिरोधक पहलू को रोकता है, ऐसे प्रावधान प्रस्तुत करता है, जो सभी हितधारकों को न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। न्याय का पहलू प्रतिशोधात्मक से सुधारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन के माध्यम से दिखाई देता है।

स्रोत— https://www.scconline.com/blog/post/2024/07/01/decolonisation-of-ipc-understanding-bharatiya-nyaya-sanhita-2023/

बी.एन.एस. में मुख्य परिवर्तन

क्र.सं.	परिवर्तन	विवरण
1.	सामुदायिक सेवा	इस अधिनियम में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, जेल में भीड़-भाड़ कम हो जाती है, समुदाय को अपराधियों द्वारा किए गए कार्यों से लाभ मिलता है और समुदाय के भीतर उन्हें जवाबदेह बनाकर उनके पुनर्वास में सहायता मिलती है।
2.	संगठित अपराध	बी.एन.एस. की धारा 111 संगठित अपराध को व्यापक रूप से परिभाषित करती है, जिसमें समूह द्वारा किए गए अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध पर हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, मादक पदार्थ आदि सम्मिलित हैं।
3.	आतंकवाद	अधिनियम की धारा 113 आतंकवाद को भारत या विदेश में भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरा पहुँचाने, जनता को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के इरादे से किया गया अपराध मानती है।

4.	समावेशी भाषा का उपयोग	(a) बी.एन.एस. धारा 2(10) के अंतर्गत ट्रांसजेंडर शब्द का उपयोग करती है, 'जेंडर' (लिंग) की परिभाषा के अंतर्गत 'जेंडर' आई.पी.सी. में अविद्यमान था; (b) अवयस्कों को 'बच्चे' से प्रतिस्थापित किया गया है; और (c) चल संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति सम्मिलित की गई है।
5.	एक पृथक अपराध के रूप में छीना-झपटी	बी.एन.एस. की धारा 304 में छीना-झपटी को चोरी से पृथक एक अपराध के रूप में माना गया है।
6.	निम्नलिखित प्रावधानों को हटाया गया— (a) व्यभिचार (b) आत्महत्या का प्रयास (c) अप्राकृतिक अपराध	उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुरूप, बी.एन.एस. में इन प्रावधानों को हटा दिया गया है।
7.	'हिट एंड रन' के मामले (टक्कर मारने और भाग जाने के मामले)	'हिट एंड रन' के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसे बी.एन.एस. 2023 की धारा 106 (2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनाया गया है। जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना का खुलासा किए बिना घटनास्थल से भाग जाता है, उसे दस साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
8.	किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना, धंधे में लगाना या इससे जोड़ना	किसी अपराध को करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना, नौकरी पर रखने या इससे जोड़ने के कृत्य को बी.एन.एस. 2023 की धारा 95 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके लिए न्यूनतम सात वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है, जिसे अधिकतम 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
9.	राजद्रोह	सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता एवं अखंडता को खतरे में डालने वाले अलगाववादी कृत्यों पर एक नई धारा जोड़ी गई है और इसे बी.एन.एस. 2023 में धारा 152 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है।

10.	इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकृति	दस्तावेज की परिभाषा में 'इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स' को सम्मिलित किया गया है।
11.	जीरो एफ.आई.आर.	जीरो एफ.आई.आर. (जीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट) एक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे वह घटना किसी भी क्षेत्राधिकार में हुई हो। जीरो एफ.आई.आर. के औचित्य का विचार बिना किसी देरी के शिकायत के त्वरित पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है, खासकर ऐसे मामले में, जहाँ तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

जागरूकता का प्रसार

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक मोबाइल एप्लीकेशन 'एन.सी.आर.बी. संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज' लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन तीन नए आपराधिक कानूनों का संकलन है। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। यह एप्लीकेशन नए कानूनों के बारे में सूचना के संवर्धन में उपयोगी है।

NCRB SANKALAN of New Criminal Laws

डिजिटल हो रहा है!

शिकायतकर्ता किसी निर्दिष्ट ई-एफ.आई.आर. पोर्टल या पुलिस वेबसाइट के माध्यम से पुलिस शिकायत दर्ज कर सकते हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से संबंधित पुलिस स्टेशन को शिकायत/सूचना भेज सकते हैं।

जीरो एफ.आई.आर.

- पुलिस के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करना अनिवार्य है, जहाँ किसी संज्ञेय अपराध के बारे में मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है, भले ही उसके पास अधिकार क्षेत्र हो या न हो (बी.एन.एस.एस. की धारा 173)
- जीरो एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन ऐसी एफ.आई.आर. को उस पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर सकता है, जिसके पास मामले की जाँच करने का अधिकार क्षेत्र है।

गतिविधियाँ

1. कानूनी सिद्धांत पर वाद-विवाद

विद्यार्थियों को टीमों में विभाजित करें और प्रत्येक टीम को भारतीय न्याय संहिता 2023 से एक कानूनी सिद्धांत सौंपें (जैसे— सामाजिक न्याय, कानून के समक्ष समानता आदि)। टीमों को सिद्धांत का समर्थन करने या चुनौती देने वाले तर्क तैयार करने दें। एक बहस आयोजित करें, जहाँ टीमें अपने तर्क प्रस्तुत करें और रचनात्मक संवाद में जुड़ें।

2. केस स्टडी विश्लेषण

विद्यार्थियों को केस स्टडीज प्रदान करें, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में संबोधित मुद्दों, जैसे— भेदभाव, न्याय तक पहुँच आदि) का उदाहरण देते हैं। विद्यार्थियों से प्रत्येक मामले का विश्लेषण करने, प्रासंगिक कानूनी सिद्धांतों की पहचान करने और इन सिद्धांतों के आधार पर समाधान या निर्णय प्रस्तावित करने के लिए कहें। कक्षा में उनके निष्कर्षों पर चर्चा करें।

3. रोल प्ले गतिविधि

विद्यार्थियों को न्यायाधीश, वकील (अधिवक्ता), वादी और प्रतिवादी जैसी भूमिकाएँ सौंपें। भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा सम्मिलित किए गए कानूनी मुद्दे से संबंधित एक काल्पनिक मामला प्रदान करें। विद्यार्थियों से कक्षा में चर्चा की गई प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए एक मॉक ट्रायल आयोजित करने के लिए कहें। इसके बाद, परिणामों और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा करें।

4. पोस्टर बनाना

विद्यार्थियों को 3–4 के समूहों में विभाजित करें और उनसे इंटरैक्टिव पोस्टर (अंतर्क्रियात्मक पोस्टर) बनाने के लिए कहें, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में जागरूकता के प्रसार में सहायता करेंगे।

प्रश्नोत्तरी

1. भारतीय न्याय संहिता 2023 में 'संहिता' शब्द संदर्भित करता है—

(क) कानूनी निर्णय
(ख) कानूनी संहिता
(ग) कानूनी विद्वान
(घ) कानूनी सुधार

(उत्तर— ख)

2. भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार, दंड का कौन-सा नया रूप सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक भागीदारी पर बल देता है?

(क) जुर्माना
(ख) कारावास
(ग) सामुदायिक सेवा
(घ) सार्वजनिक माफी

(उत्तर— ग)

3. भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार, जेंडर (लिंग) की परिभाषा में अब स्पष्ट रूप से सम्मिलित हैं—

(क) केवल पुरुष और महिला
(ख) पुरुष, महिला और इंटरसेक्स व्यक्ति
(ग) पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति
(घ) पुरुष, महिला और नॉन-बाइनरी व्यक्ति

(उत्तर— ग)

4. भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत, जीरो एफ.आई.आर. प्रावधान क्या अनुमति देता है?

(क) बिना जाँच के आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी
(ख) क्षेत्राधिकार के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज करना
(ग) बिना जाँच के एफ.आई.आर. को निरस्त करना
(घ) नामित पुलिस अधिकारी द्वारा विशेष जाँच

(उत्तर— ख)

5. भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार, राजद्रोह की संशोधित परिभाषा में अब निम्नलिखित पर बल दिया गया है—

(क) सरकारी नीतियों की आलोचना
(ख) राज्य के खिलाफ हिंसा का समर्थन (एडवोकेसी)
(ग) बिना अनुमति के सार्वजनिक विरोध
(घ) राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनादर

(उत्तर— ख)

कानून और हम

चिंतन-मनन

इस मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद, विद्यार्थी—

(a) नए कानून और कानून में दिए गए अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को बेहतर ढंग से समझ पाएँगे।

(b) सामाजिक मानदंडों और व्यवहारों को आकार देने में कानून की भूमिका का पता लगा पाएँगे।

(c) इस बात पर चिंतन कर पाएँगे कि कानून व्यक्तिगत अधिकारों, उत्तरदायित्वों और सामुदायिक कल्याण को कैसे प्रभावित करते हैं।

अभिभावकों के लिए संदेश

इस मॉड्यूल का उद्देश्य नए आपराधिक कानून के बारे में विद्यार्थी समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करना और फैलाना है। इस मॉड्यूल से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होगा, वह अमूल्य है और यह उन्हें विभिन्न स्थितियों में स्वयं के संरक्षण के लिए सशक्त बनाएगा। हमारे बच्चों को कानून के अंतर्गत अपराधों, उनके कानूनी अधिकारों और उत्तरदायित्वों की बुनियादी समझ होगी।

संदर्भ या वेबलिंक्स

https://www.azbpartners.com/bank/overview-of-the-bharatiya-nyaya-sanhita-2023penal-code/

https://www.foxmandal.in/changes-brought-forth-by-the-bharatiya-nyaya-sanhita-2023/

https://www.scconline.com/blog/post/2023/12/31/key-highlights-of-the-three-new criminal-laws-introduced-in-2023/

https://www.taxmann.com/post/blog/analysis-bharatiya-nyaya-sanhita-bns-an overview#1

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING